Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to help Burrad caste for allowing them to cut bamboo.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज की तारीख में यही बोलना पड़ेगा कि आप सबको बराबरी का न्याय देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे लोक सभा क्षेत्र का चंद्रपुर जिला वन संसाधनों में समृद्ध है । इस जंगल बफर क्षेत्र में भारी मात्रा में बांस उपलब्ध है । किन्तु, वन विभाग की दमनकारी शर्तों से बांस कटाई की अनुमति देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास प्रलंबित है । हमारे क्षेत्र में बुरड़ समाज भारी मात्रा में हैं । यह बुरड़ परिवार बांस से अनेक वस्तुओं को कुशलतापूर्वक निर्मित कर परिवार का जीवनयापन करते हैं । हरे और गीले बांस की उपलब्धता में वन विभाग से इन व्यावसायियों के ऊपर कानूनन रोक-टोक हो रही है । वर्ष 2018 में बांस के बुरड़ समाज को पूर्णतः खुला करने की घोषणा हुई थी । लेकिन, बांस पूर्णतः टिपी मुक्त नहीं हुआ । देश में पेसा कानून जहां पर लागू है, वहां बांस एवं अन्य वन उत्पाद का उपयोग वहां के ग्रामस्थ परिवार ले सकते हैं । लेकिन, सुनिश्चित नियोजन के अभाव में और वन विभाग की उदासीनता से हजारों गरीब परिवार परेशान हैं । वन विभाग का 10 साल का वर्किंग प्लान रहता है । उसी प्रकार ग्राम पंचायत का व्यवस्थापन 5 साल का कंजर्वेशन-कम-मैनेजमेंट प्लान तथा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना होने से स्थानिक ग्राम पंचायत वन उत्पाद की टिपी खुद दे सकते हैं । उससे उन्हें वन विभाग के दमनकारी शर्तों से मुक्ति मिलेगी । वन विभाग जान-बूझकर नियमों की अनदेखी कर रहा है । वन विभाग को सख्त निर्देश निगर्मित कर बुरड़ समाज को न्याय दिलाने के लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं । धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री जी. सेल्वम जी – उपस्थित नहीं ।

श्री संगम लाल गुप्ता जी।